भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3302

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

मामलों का निपटान

3302. श्री एम. बदरूद्दीन अजमलः

श्री गोपाल शेट्टी :

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में आपराधिक और दीवानी मामलों से संबंधित लंबित पड़े मामलों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान का प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या बंबई के उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में जमानत आवेदनों के निपटान में देरी के कारण जमानत आवेदनों से संबंधित कई मामले लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के अवसर के दौरान न्यायालयों पर मामलों के बोझ को कम करने और विशेषकर लंबे समय से लंबित पड़े मामलों के त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं/ कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) : उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और निम्नश्रेणी न्यायालयों में अपराधिक और सिविल मामलों से संबंधित लंबित मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	आपाराधिक मामले	सिविल मामले
1	भारत का उच्चतम न्यायालय*	15,076	56,365
2	उच्च न्यायालय**	16,55,953	42,99,954
3	जिला और अधीनस्थ न्यायालय **	3,07,55,696	1,05,97,546

*तारीख 02.08.2022 तक **तारीख 29.07.2022 तक

(ख) : भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामलों का प्रतिशत निम्नानुसार है :-

वर्ष	निपटाए गए मामले	वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामले	मामलों के निपटाने का प्रतिशत = (निपटाए गए/लंबित मामले)*100
2017	63053	62537	100.82%
2018	37470	55588	67.40%
2019	41100	57346	71.67%
2020	20670	59859	34.53%
2021	24586	65086	37.77%
2022 (31.07.2022 तक)	17751	70239	25.27%

(ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) और (ङ) : न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटान न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संबंधित न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकार के मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। न्यायालयों में मामलों के निपटारे में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान कई कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों का सहयोग अर्थात बार, अन्वेषण अभिकरण,साक्षियों और वादियों और नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं। कई अन्य कारक हैं जो मामलों के निपटान में देरी का कारण बन सकते हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए निगरानी, ट्रैक और बहु मामलों की पर्याप्त व्यवस्था की कमी सम्मिलित हैं। केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के

अनुसार मामलों के त्वरित निपटान और लंबित मामलों को कम करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के तेजी से निपटान के लिए एक ईको प्रणाली प्रदान करने के लिए कई पहलों को अपनाया है।

राष्ट्रीय न्याय परिदान और विधिक सुधार मिशन की स्थापना अगस्त, 2011 में प्रणाली में विलंब और बकाया में कमी करके पहुंच में वृद्धि करने और निष्पादन मानकों और क्षमताओं को स्थापित करने के द्वारा और संरचना परिवर्तन के माध्यम से जवाबदेहीता को बढाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई थी । मिशन न्यायिक प्रशासन में बकाया और लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन के लिए एक समन्वय दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ, न्यायालयों की बेहतर अवसंरचना अंतर्वलित है जिसके अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, अधीनस्थ न्यायपालिका की पद संख्या में वृद्धि, अत्यधिक मुकदमेंबाजी वाले क्षेत्रों में नीति और विधायी उपाय, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पुर्नगठन और मानव संसाधन विकास पर जोर देना भी सम्मिलित है ।

विभिन्न पहलों के अधीन पिछले आठ वर्षों के दौरान मुख्य उपलब्धियां निम्नानुसार हैं–

(i) <u>जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना में सुधार:-</u> 1993-94 में न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के प्रारंभ से आज की तारीख तक 9013.21 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं । इस स्कीम के अधीन न्यायालय हालों की संख्या 30.06.2014 को 15,818 से तारीख 30.06.2022 तक बढ़कर 20,993 हो चुकी है और तारीख 30.06.2014 को आवासीय इकाईयों की संख्या 10,211 से बढ़कर तारीख 30.06.2022 तक 18,502 हो चुकी है । इसके अतिरिक्त 2,677 न्यायालय हाल और 1,659 आवासी इकाईयां(न्याय विकास पोर्टल के अनुसार) निर्माणाधीन हैं । न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक प्रसुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को 9,000 करोड़ रु.की कुल लागत पर 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 5,307 करोड़ रु. होगा । न्यायालय हॉल और आवासीय इकाइयों के निर्माण के अतिरिक्त, इसमें वकील हॉल, शौचालय परिसर और डिजिटल कंप्यूटर रूम का निर्माण भी सम्मिलित होगा।

(ii) <u>सुधार की गई न्याय के परिदान के लिए सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी (आई सी टी) का प्रभावन</u> :- सरकार ने जिला औऱ अधीनस्थ न्यायालयों को परिचालन योग्य बनाने के लिए सूचना और संसूचना प्रौद्योगिकी के लिए संपूर्ण देश में ई-

न्यायालय मिशन पद्धति परियोजना को क्रियान्वित किया है। अब तक कम्प्यूटरीकृत जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या बढ़कर 18,735 हो गई है। 99.3% न्यायालय परिसरों को वैन की संयोजिता प्रदान की गई है। मामला सूचना सॉफ्टवेयर के नए और प्रयोक्ता-अनुकूलन पार्ट को विकसित किया गया है और सभी कम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित किया गया है । सभी पणधारी जिसके अंतर्गत न्यायिक अधिकारी भी है, राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) कंम्प्यूटरीकृत जिला और अधीनस्थ न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाहियों/विनिश्चयों से संबंधी जानकारी तक पहुंच बना सकते हैं । 04.07.2022 तक, वादकारी इन न्यायालयों से संबंधित 20.86 करोड़ से अधिक मामलों की प्रास्थिति और इन न्यायालयों से संबंधित 18.02 करोड़ आदेश/निर्णय तक पहुँच सकते हैं। ई-न्यायालय सेवाएं, जैसे मामलों का रजिस्ट्रीकरण मामलों की सूची मामलों की प्रास्थिति दैनिक आदेश और अंतिम निर्णयों के ब्यौरे सभी कम्प्यूट्रीकृत न्यायालयों में ई-न्यायालय वेबपोर्टल, न्यायिक सेवा केन्द्र (जेएससी), ई-न्यायालय मोबाइल ऐप, ई-मेल सेवा, एसएमएस, पुश और पुल सेवा के माध्यम से वादकारियों और अधिवक्ता को उपलब्ध हो । वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सुविधा के माध्यम से 3240 न्यायालय परिसर तथा 1272 तत्स्थानी कारावासों को समर्थ बनाया गया है। कोविड-19 चुनौतियों को बेहतर तरीके से संभालने और वर्चुअल सुनवाई को सुचारू बनाने के उद्देश्य से, निर्णय/आदेश प्राप्त करने ,जानकारी और ई फाइलिंग प्रसुविधा से संबंधित न्यायालय/मामले प्राप्त करने से सहायता की आवश्यकता के लिए वकीलों और वादकारियों को न्यायालय परिसरों में 500 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है ।वर्चुअल सुनवाई को सुकर बनाने के लिए विभिन्न न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केबिन में उपस्कर प्रदान करने के लिए 5.01रु. करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय परिसरों में ई फाइलिंग के लिए 1732 हेल्प डेस्क काउंटरों को 12.12 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

16 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों अर्थात दिल्ली (2), हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में यातायात अपराधों को कम करने की कोशिश करने के लिए बीस वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। 03.03.2022 तक, इन न्यायालयों ने 1.69 करोड़ से अधिक मामलों को संभाला है और 271.48 करोड़ रुपए के जुर्माना से अधिक की वसूली की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान न्यायालयों के मुख्य आधार के रूप में उभरा क्योंकि भौतिक सुनवाई और सामूहिक मोड में सामान्य न्यायालय की कार्यवाही संभव नहीं थी। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ, जिला न्यायालयों ने 1,28,76,549 मामलों की सुनवाई की, जबकि उच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके 30.04.2022 तक 63,76,561 मामलों (कुल 1.92 करोड़) की सुनवाई की। 13.06.2022 तक लॉकडाउन अवधि से उच्चतम न्यायालय में 2,61,338 सुनवाई हुई।

(iii) <u>उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में रिक्त पदों को भरना</u> :- 01.05.2014 से 15.07.2022 तक उच्चतम न्यायालय में 46 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी । उच्च न्यायालयों में 769 नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए तथा 619 अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी किए गए। मई 2014 में उच्च न्यायालयों की स्वीकृत संख्या 906 से वर्तमान में बढ़कर 1108 हो गई । जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत और कार्यरत पद संख्या में निम्नानुसार वृद्धि की गई है :

निम्नलिखित तारीख तक	स्वीकृत संख्या	कार्यरत पद संख्या
31.12.2013	19,518	15,115
22.07.2022	24,631	19288

अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों का भरा जाना संबद्ध राज्य सरकारों तथा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर आता है ।

(iv) बकाया समिति द्वारा अपनाए गए/उसके माध्यम से लंबित मामलों में कमी : अप्रैल, 2015 में आयोजित मुख्य न्यायमूर्तियों के सम्मेलन में पारित संकल्प के अनुसरण में, पांच वर्ष से अधिक लंबित मामलों को निपटाने के लिए उच्च न्यायालय समितियां स्थापित की गई हैं। जिला न्यायाधीशों के अधीन भी बकाया मामला समितियों की स्थापना की गई है। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए कदम विरचित करने के लिए एक बकाया मामला समिति का गठन किया है। पूर्व में, विधि और न्याय मंत्री ने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के साथ पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर ध्यान आकर्षित करने और लंबित मामलों को कम करने का

अभियान चलाने के लिए मामला उठाया है। विभाग ने मलीमथ समिति रिपोर्ट के बकाया उन्मूलन स्कीम मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन पर सभी उच्च न्यायालयों द्वारा रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।

(v) अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर :- वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 (तारीख 20 अगस्त, 2018 को यथासंशोधित) वाणिज्यिक विवादों के बाध्यकारी पूर्व मध्यकता और निपटारे के लिए अनुबद्ध किया गया है । विहित की गई समय-सीमा द्वारा विवादों के शीघ्र समाधान को तेज करने के लिए माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन किए गए है ।

(vi) <u>विशेष प्रकार के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए पहल :-</u> चौदहवें वित्त आयोग ने सरकार के राज्यों में न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के प्रस्ताव का समर्थन किया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जघन्य अपराधों के मामलों के लिए त्वरित निपटान न्यायालय की स्थापना करने से है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बालकों आदि से संबंधित मामले सम्मिलित हैं तथा राज्य सरकारों को ऐसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बढे हुए कर न्यागमन 32% से 42% वृद्धि करने के प्ररूप में उपबंधं करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का अनुरोध किया है। 31.05.2022 की स्थिति के अनुसार जघन्य अपराधों, महिलाओं और बालकों आदि के विरूद्ध अपराधों के लिए 892 त्वरित निपटान न्यायालय कार्य कर रहे हैं। निर्वाचित संसद् सदस्यों/विधानसभा सदस्यों से संबंधित दांडिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए दस (10) विशेष न्यायालय नौ (09) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में एक प्रत्येक और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में दो) स्थापित किए गए हैं। सरकार ने भारतीय दंड संहिता, के अधीन बलात्संग तथा पाक्सो अधिनियम के अधीन अपराधों के लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए संपूर्ण देश में 1023 त्वरित निपटान विशेष न्यायालय (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक स्कीम का और अनुमोदन किया है । आज की तारीख तक 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 363 'मात्र पाक्सो न्यायालय' सहित 842 एफटीएससी की स्थापना के लिए जुड़ गए है । स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 140 करोड रुपए जारी किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 160 करोड रुपए जारी किए गए है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 134.557 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 728 एफटीएससी वर्तमान में 408 अनन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित कार्य कर रहे हैं, जिसमें 30.06.2022 तक 1,02,344 मामलों का निपटारा किया गया।

(vii) इसके अतिरिक्त, लंबित मामलों को कम करने तथा न्यायालयों को उससे मुक्त करने के लिए सरकार ने हाल ही में विभिन्न विधियों जैसे परक्राम्य लिखत (संशोधन) अधिनियम, 2018, वाणिज्यिक न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2018, विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 तथा दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 में संशोधन किया गया है ।

****

उपाबंध-1

लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3302 जिसका उत्तर तारीख 05.08.2022 को दिया जाना है के भाग, (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	उच्च न्यायालय का नाम	वर्ष 2017		वर्ष 2018		वर्ष 2019		वर्ष 2020		वर्ष 2021		वर्ष 2022	
		संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2017** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2018** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2019** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2020** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2021** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2022** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत
1	इलाहाबाद	301259	32.89	298035	32.76	319573	34.02	169158	17.91	243392	24.51	83991	8.14
2	आंध्र प्रदेश	62047	21.27	66513	20.43	21516	12.47	26572	13.73	31860	15.50	9196	4.11
3	तेलंगाना					35514	18.96	22701	11.00	40334	18.08	22299	9.29
4	बम्बई	93917	35.89	91690	35.43	90757	31.53	34651	11.31	57835	17.78	24428	6.92
5	कलकत्ता	62209	28.40	50979	22.90	63148	27.27	24785	10.82	52466	22.10	17614	7.50
6	छत्तीसगढ़	31493	56.60	37215	62.59	39488	62.11	23678	34.16	30809	40.63	8046	9.93
7	दिल्ली	39779	58.41	44096	62.74	41013	55.02	19578	24.19	27490	30.12	11979	11.78
8	गुजरात	87164	85.85	58765	56.91	65424	56.91	43394	33.59	58537	40.89	17391	11.22
9	गुवाहाटी	16097	52.86	14552	43.48	14154	42.32	6755	18.14	9359	22.83	3158	7.12
10	मेघालय	673	96.14	737	105.74	1008	128.90	458	60.50	649	61.00	327	27.23
11	मणिपुर	1325	40.32	2527	68.86	2265	73.97	717	29.05	1151	40.40	424	13.18
12	त्रिपुरा	3128	107.20	2401	87.02	3650	122.61	2434	94.12	2800	119.50	728	41.94
13	हिमाचल प्रदेश	21233	71.08	23116	73.71	27752	76.71	22203	40.78	30054	40.53	5891	7.15
14	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	14386	24.22	14875	23.97	10223	15.96	19431	27.10	23617	39.92	2705	5.60
15	झारखंड	32632	38.05	39822	44.30	45298	50.94	28337	33.23	40588	46.00	12533	14.16
16	कर्नाटक	100279	36.12	102451	31.65	231024	64.60	161110	59.25	89988	36.03	21110	8.57
17	केरल	80255	48.13	86341	48.71	82070	42.58	50590	25.70	57003	26.82	17790	7.85
18	मध्य प्रदेश	120310	41.57	109766	35.71	110626	33.38	77032	21.52	103415	26.95	35412	8.67
19	मद्रास	142084	47.74	162081	53.58	179144	61.14	105586	38.72	146244	54.28	47307	18.14
20	उड़ीसा	74798	44.55	63236	37.52	93224	57.81	61335	40.72	105525	60.97	35396	18.05
21	पटना	98191	73.03	117984	81.56	117707	76.69	51637	29.95	60822	33.89	26961	11.93

22	पंजाब और हरियाणा	105966	35.05	122972	37.09	128085	37.98	71835	20.30	87310	23.05	28567	6.32
23	राजस्थान	112573	44.19	102529	39.14	172329	60.46	84300	18.33	124930	24.09	43372	7.74
24	सिक्किम	190	111.76	150	71.43	223	88.49	136	58.12	217	90.79	26	14.53
25	उत्तराखंड	22541	70.43	18993	63.26	21834	64.13	13496	38.12	14703	38.77	3638	8.88
	कुल	**1624529**	**40.12**	**1631826**	**38.51**	**1917049**	**43.11**	**1121873**	**23.94**	**1441098**	**29.01**	**480289**	**9.05**

उपाबंध-2

लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3302 जिसका उत्तर तारीख 05.08.2022 को दिया जाना है के भाग, (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम	वर्ष 2017		वर्ष 2018		वर्ष 2019		वर्ष 2020		वर्ष 2021		वर्ष 2022	
		संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2017** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2018** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2019** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2020** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2021** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत	संपूर्ण वर्ष में निपटाए गए मामले	तारीख **01.01.2022** तक अथशेष के संदर्भ में निपटाए गए मामलों का प्रतिशत
1	उत्तर प्रदेश	3288866	55.00	3282885	51.43	3426942	49.04	2274687	29.13	3955646	45.08	1181122	11.85
2	आंध्र प्रदेश	760582	70.56	741390	71.23	364947	67.83	166918	29.43	244105	37.60	101322	12.90
3	तेलंगाना					331963	62.59	133518	23.04	368092	53.22	188604	23.86
4	महाराष्ट्र	2378096	73.41	2196271	65.76	1877895	53.18	752986	19.70	1388604	30.83	472576	9.84
5	गोवा	34814	82.74	36235	92.32	32634	76.28	14130	28.81	32953	55.88	8321	14.01
6	दमण और दीव और सिलवासा	3302	60.19	4001	75.56	4081	74.63	2225	41.64	3875	61.69	606* 576**	21.32* 15.65**
7	पश्चिमी बंगाल	1694427	62.10	1016319	47.46	683238	35.03	307850	15.03	476809	21.96	157492	6.61
8	अंदमान निकोबार द्वीप	7776	88.70	7284	78.94	8563	83.71	4054	41.39	10124	102.90	1711	18.36
9	छत्तीसगढ़	208498	71.79	229548	82.77	214399	80.17	78278	27.46	195240	58.83	57953	15.17
10	दिल्ली	740779	116.45	808156	108.09	814555	97.57	245879	27.87	353683	34.72	113064	9.18
11	गुजरात	1386529	76.09	1418688	87.59	1142383	69.07	394455	24.72	1448516	75.52	368279	18.86
12	असम	313617	121.26	311150	112.66	254823	87.28	94574	31.37	182346	50.55	53967	13.00
13	नागालैंड	2957	66.75	3514	72.50	5728	114.70	2488	74.03	3921	93.22	1452	31.78
14	मेघालय	12316	80.82	8517	57.64	7890	58.08	3163	23.13	5232	33.05	1399	8.74
15	मणिपुर	5256	75.32	4379	64.41	3717	59.80	1747	26.81	1411	20.28	684	8.36
16	त्रिपुरा	169763	11.49	139931	130.67	90786	155.83	26095	94.92	55417	124.10	19396	45.01
17	मिजोरम	12497	267.89	12563	244.04	15107	245.48	11524	175.32	11236	177.28	3298	52.32
18	अरुणाचल प्रदेश	12165	83.42	7499	73.29	7735	80.14	4144	37.50	8156	64.47	2232	15.59
19	हिमाचल प्रदेश	317251	134.89	343667	146.47	483869	188.54	187035	63.68	384726	91.41	114948	24.73
20	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	110825	75.91	146194	90.43	81520	49.85	62465	36.16	109071	57.44	39288	18.17
21	झारखंड	157765	46.22	194200	56.76	187370	54.61	108247	29.34	143805	33.67	66953	13.64
22	कर्नाटक	1144693	84.03	1120397	78.19	1272673	85.15	961619	62.81	1848768	108.16	538012	30.21

23	केरल	983409	66.33	961840	59.26	1005350	6.84	365958	22.57	816047	39.06	247285	11.84
24	लक्षद्वीप	191	53.50	237	66.95	201	55.22	238	59.95	284	62.69	76	16.17
25	मध्य प्रदेश	1218909	96.69	1386280	104.03	1207541	89.14	681333	46.81	1122497	64.99	277013	14.42
26	तमिलनाड्	1015322	94.71	906184	85.02	849240	78.32	429767	37.79	646592	51.16	168522	12.65
27	पुडुचेरी	16770	59.56	14052	52.18	12137	44.69	6533	21.71	14628	43.70	3471	10.52
28	उड़ीसा	365602	33.95	255005	21.63	296535	22.49	126077	8.79	228609	14.36	63941	3.57
29	बिहार	344981	16.21	361063	16.24	405347	16.20	174478	6.43	354099	11.74	118219	3.61
30	पंजाब	718292	142.43	712529	124.39	670175	111.32	333826	51.97	582027	68.98	181457	19.19
31	हरियाणा	579631	105.82	628939	97.75	614384	84.38	281734	33.01	558068	50.67	205990	15.68
32	चंडीगढ़	101617	261.18	139172	333.79	146256	259.52	35294	56.06	55242	78.21	12123	16.75
33	राजस्थान	1514181	96.20	1468290	89.78	1508232	87.06	786604	44.45	1192950	61.25	360812	16.68
34	सिक्किम	2583	180.13	2440	173.67	1906	157.78	987	86.43	1807	124.19	363	22.46
35	उत्तराखंड़	237197	124.22	288999	137.61	341452	146.96	143974	73.73	214860	86.17	48466	16.88
	कुल	**19861459**	**70.24**	**19157818**	**66.62**	**18371574**	**60.65**	**9204884**	**28.50**	**17019446**	**45.66**	**5180993**	**12.62**

****